

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का नियम 170

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने **आयुष** मंत्रालय की इस बात के लिये आलोचना की कि उसने राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945** के **नियम 170** की अवहेलना करने का निर्देश दिया है, जिससे आयुष उत्पादों के भ्रामक वजिजापनों को रोकने के लिये बनाया गया है।

- **आयुर्वेदिक, सदिध और यूनानी दवाओं के वजिजापन को वनियिमति** करने के लिये नियम 170 को वर्ष 2018 में प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत नरिमाताओं को राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों से अनुमोदन तथा एक वशिषिट पहचान संख्या प्राप्त करना आवश्यक था।
 - इस नियम का उद्देश्य आयुष उत्पाद वजिजापनों में झूठे या बढ़ा-चढ़ाकर दावे करने, अश्लील सामग्री रखने या सरकारी नकियों का उल्लेख करने से रोकना है।
 - नियम के अनुसार नरिमाताओं को **पाठ्य संदर्भ, औचित्य, संकेत, सुरक्षा, प्रभावशीलता और गुणवत्ता** जैसे वविरण प्रस्तुत करने होंगे।
- 1 जुलाई 2024 को आयुष मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्य अधिकारियों को नियम 170 की अनदेखी करने का निर्देश दिया। यह निर्देश **आयुर्वेदिक, सदिध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (ASUDTAB)** द्वारा मई 2023 में की गई सफिरशि के बाद आया, जिसमें नियम को छोड़ने की सफिरशि की गई थी क्योंकि भ्रामक वजिजापनों से नपिटने के लिये **औषधि और चमत्कारिक उपचार अधनियम, 1954** में संशोधन पर वचिर कयिा जा रहा था।
 - ASUDTAB एक वशिषज्ज नकिय है जो आयुष औषधियों के वनियिमन से संबंधित कार्यों की सफिरशि करता है।

//

आयुष चिकित्सा पद्धति

आयुष में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी शामिल हैं, आयुर्वेद का 5000+ वर्षों का प्रलेखित इतिहास है।

आयुर्वेद

- संहिता काल (1000 ईसा पूर्व): परिपक्व चिकित्सा प्रणाली के रूप में उभरा
- चरक संहिता: सबसे प्राचीन और आधिकारिक संहिता
- सुश्रुत संहिता: आठ विशिष्टताओं में मौलिक सिद्धांत और चिकित्सीय विधियाँ प्रदान करती है

मुख्य शाखा:

- आग्नेय पुनर्वसु- चिकित्सकों की शाखा
- दिवोदास धन्वतरि - शल्यचिकित्सकों की शाखा


आयुर्वेद की शाखाएँ

- काय चिकित्सा- चिकित्सा।
- शल्य चिकित्सा- सर्जरी।
- शालाक्य तंत्र- ईएनटी और नेत्र विज्ञान।
- बाल रोग चिकित्सा।
- अगद तंत्र- विष विज्ञान।
- भूतविद्या - मनोरोग।
- रसायन- कायाकल्प चिकित्सा और जराचिकित्सा।
- वाजीकरण तंत्र- सेक्सोलॉजी।



भगवान ब्रह्मा को आयुर्वेद का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है

योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा



- प्राकृतिक चिकित्सा: 5 प्राकृतिक तत्वों - पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश की सहायता से उपचार
- शरीर की स्व-उपचार क्षमता सिद्धांतों और स्वस्थ जीवन के सिद्धांतों पर आधारित
- रोग-केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर व्यक्ति-केंद्रित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है

योग को सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने व्यवस्थित रूप में योगसूत्र के रूप में प्रतिपादित किया

यूनानी

ग्रीस में अग्रणी, अरबों द्वारा 7 सिद्धांतों के रूप में विकसित (उमूर-ए-तब्बिया)

- बुकरात (हिप्पोक्रेटस) और जालीनूस (गैलेन) की शिक्षाओं के ढाँचे के आधार पर
- चार ह्यूमर्स का हिप्पोक्रेटिक सिद्धांत अर्थात् रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त
- WHO द्वारा मान्यता प्राप्त और भारत द्वारा वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में आधिकारिक दर्जा प्रदान किया गया

सिद्ध

10000 - 4000 ईसा पूर्व; सिद्ध अगस्तियार- सिद्ध चिकित्सा के जनक

- निवारक, प्रोत्साहनात्मक, उपचारात्मक, पुनर्जीवनात्मक और पुनर्वासितात्मक स्वास्थ्य देखभाल
- 4 घटक: लैट्रो-रसायन विज्ञान, चिकित्सा अभ्यास, योग अभ्यास और बुद्धि
- 3 निदानात्मक ह्यूमर्स (मुक्कुट्टरम) और 8 महत्वपूर्ण परीक्षणों (एन्वागई थेरवु) पर आधारित है

आयुर्वेद के 3 गुण (त्रिदोष): वात, पित्त और कफ

सोवा रिग्पा

उत्पत्ति: भगवान बुद्ध के समय 2500 वर्ष पूर्व भारत में

- लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आदि के हिमालयी क्षेत्रों में पारंपरिक चिकित्सा।
- भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (वर्ष 2010 में संशोधित) द्वारा भारत में मान्यता प्राप्त।

होम्योपैथी

जर्मन चिकित्सक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन ने इसके मूलभूत सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया

- जर्मन चिकित्सक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन ने इसके मूलभूत सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया।
- औषधियाँ मुख्यतः प्राकृतिक पदार्थों (पौधे उत्पाद, खनिज, पशु स्रोत) से तैयार की जाती हैं।
- वर्ष 1810 में यूरोपीय मिशनरियों द्वारा भारत में लाया गया; वर्ष 1948 में आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई।
- 3 प्रमुख सिद्धांत:
 - सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंदूर ("समः समम् शमयति" या "समरूपता")
 - सिंगल मेडिसिन
 - मिनिमम डोज़



और पढ़ें: [भारत में भ्रामक वजिजापनों का वनियमन](#)

